(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1393-तीन/2006 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 24-7-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 11/2003-04 निगरानी

1- मोजम सिंह पुत्र बेनी सिंह
2- शॉति पत्नि स्व.अंजनी सिंह
3- बद्री पुत्र बधई सिंह उर्फ लक्षणधारी
4- विनयकुमार 5- बीरप्रताप सिंह
6- रणीजीत सिंह पुत्रगण रूद्रप्रताप सिंह
निवासीगण ग्राम अमिलिया तहसील
सिंगरोली जिला सीधी ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- गनेश पुत्र अजमेर सिंह गौड़
ग्राम अमिलिया तहसील सिंगरोली
2- रैमुनिया पुत्री नन्हकाई पति रूपशाह सिंह
3- हिमतिया पुत्री नन्हकाई पति छेटेलाल सिंह
ग्राम ठडकठेला सरई तहसील देवसर जिला सीधी --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री रणवीर सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 10-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 11/03-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-7-06 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी

सिंगरोली को आवेदन देकर बताया कि ग्राम अमिलिया की भूमि (जो अपर कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 29-10-03 में अंकित है) का भूमिस्वामी मोहर सिंह आदिवासी था,जिसकी मृत्यु के वाद अजमेर सिंह, ननकाई वारिस थे। वर्ष 1977-78 में इन भूमियों का कलेक्टर की अनुमति के बिना अंतरण हुआ है। संहिता की धारा 170 ख का उल्लॅघन होने से भूमि वापिस दिलाई जावे। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्र.क. 9 अ-23/91-92 दर्ज किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दि. 31-12-99 पारित किया एंव आवेदन धारा 170 ख की परिधि में न आने से निरस्त किया। इस आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर सीधी ने प्रकरण कमांक 41/2000-01में पारित आदेश दिनांक 29-10-2003 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 11/03-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-7-06 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये। अपर आयुक्त रीवा संभाग के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुना गया। अनावेदकगण के अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव लेखी बहस के साथ उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर सीधी ने आदेश दिनांक 29-10-03 में निष्कर्ष दिया है कि अनावेदकगण ने शपथपूर्वक कथन तहसीलदार के समक्ष किया है कि तेजधारी सिंह को 1/2 व अंजनी सिंह, मौजम सिंह, बद्रीसिंह को 1/2 भूमि सहमति से दी जा रही है। मौरूषी कास्तकार की हैसियत से किये गये नामान्तरण व ऐसा भी नामान्तरण जो सहमति पर हो, अंतरण की परिधि में नहीं आता है। ऐसा ही निष्कर्ष अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने आदेश दिनांक 31-12-99 में दिया है। अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा ने आदेश दिनांक 24-7-06 में विवेचित किया है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170 (ख) के अनुसार कलेक्टर की अनुमति के बिना आदिवासी के भू स्वामित्व की भूमि को गैर आदिवासी के पक्ष में अंतरण नहीं किये जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन

प्रस्तुत प्रकरण में संपूर्ण जांच एंव कलेक्टर से अनुमति के उपरांत ही नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही दृष्टिगोचर नहीं होती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 (ख) की मंशा के विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 में इस प्रकार व्यवस्था दी गई है :-

अ- धारा की व्याप्ति - यह धारा म0प्र0 अधिनियम क. 61 सन 1976 की धारा 5 द्वारा 29 नवम्बर 1976 को जोड़ी गई है। म.प्र. अधिनियम क. 61 सन 1976 को इसी नवीन धारा की उपधारा (1) में म.प्र.भू राजस्व संहिता(तृतीय संशोधन) अधिनियम 1976 कहा गया है। धारा 170 क की उपधारा 1 द्वारा 2 अक्टूबर 1959 अर्थात संहिता के प्रवृत होने के दिन से 29 नवम्बर 1976 के बीच आदिम जनजाति तथा किसी अन्य जाति के बीच किए गए भूमि के संव्यवहार की जांच करने का अधिकार उपखंड अधिकारी को दिया गया है। इस धारा का उद्धेश्य समाज के कमजोर समुदाय के व्यक्तियों की भूमियों का संरक्षण करना है। इस धारा की व्याप्ति मात्र विकय तक सीमित नहीं है , धारा 169 के अधीन प्रोद्भूत मौरूषी कृषक के अधिकार से भी यह सम्बद्ध है। उपबंधों का उद्धेश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिम जनजाति की भूमि संहिता की आज्ञा के प्रतिकूल अंतरित नहीं की जाना चाहिए।

अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा ने अधिनियम में विहित उक्त प्रावधानों के अनुसरण में आदेश दिनांक 24-7-06 पारित करके अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के आदेश दिनांक 31-12-99 में निकाले गये त्रृटिपूर्ण निष्कर्षो को तथा अपर कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 29-10-03 में की गई त्रृटिपूर्ण विवेचना के कारण उनके आदेश निरस्त किये हैं जिसके कारण अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 11/03-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-7-06 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती हैं एंव अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 11/03-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-7-06 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर